

## कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सलूम्वर

प्रार्थी-श्री ईश्वरसिंह

बनाम

विपक्षी श्री नाहरसिंह व अन्य

कस्म मुकदमा :-रा.वा. (अन्तर्गत धारा 53, 188 R.T.A.)

प्रकरण संख्या :-53/2025

कार्यवाही विवरण (जी.सी.एम.एस. नम्बर-2025/127)

12-01-2026

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आज प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दि. के आदेश हेतु नियत है। उपभयपक्ष उपस्थित। वादी ने दिनांक 29-12-2025 को प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दि. का पेश कर निवेदन किया कि वादी अपने उक्त वाद मे आगे कोई कार्यवाही नही चलाना चाहता है तथा वादी अपना पुनः दावा पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए दावा वादी विद्धों करना चाहता है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दि. का स्वीकार कर दावा विद्धों किया जाना फरमावे।

प्रतिवादीगण ने वादी के प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दि. को स्वीकार किये जाने पर कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया एवं 'नो-ऑब्जेक्सन अंकित किया।

अतः वादी के निवेदन पर वादी का प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 1 सपठित धारा 151 जा.दि. का स्वीकार किया जाता है एवं प्रकरण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12-01-2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी,  
सहायक कलक्टर सलूम्वर  
जिला सलूम्वर